न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 34/2019 (राजसमन्द डिक्री)

1. जयसिंह उर्फ जैसिंह पिता हीरालाल जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

1/1. देवेन्द्रसिंह पिता स्व. जयसिंह उर्फ जैसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. रामसिंह पिता स्व. जयसिंह उर्फ जैसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. नारायणसिंह पिता हीरासिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

1/1. भंवरी कुंवर पत्नी स्व. नारायणसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. दौलतसिंह पिता स्व. नारायणसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. सीता कुंवर पुत्री स्व. नारायणसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2. महावीरसिंह पिता हीरासिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

2/1. घनश्यामसिंह पिता स्व. महावीरसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/2. मोहनसिंह पिता स्व. महावीरसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/3. भगवतसिंह पिता स्व. महावीरसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/4. पुष्पेन्द्रसिंह पिता स्व. महावीरसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/5. शैतानसिंह पिता स्व. महावीरसिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/6. श्रीमती दुर्गा कंवर पुत्री स्व. महावीरसिंह जी पत्नी पप्पूसिंह पुंवार, निवासी देसुरी, तहसील सादडी, जिला पाली (राज.)

3. जेठूसिंह पिता हीरासिंह जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

3/1. कान्ता कुंवर पत्नी स्व. जेठूसिंह पिता हीरालाल जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

3/2. राजुसिंह पिता स्व. जेठूसिंह पिता [illegible] जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:33 IST
Reason: SelfAttested

3/3. जगदीशसिंह पिता स्व. जेठूसिंह पिता हीरालाल जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

3/4. जितेन्द्रसिंह उर्फ जीतू पिता स्व. जेठूसिंह पिता हीरालाल जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

3/5. भगवती कुंवर पुत्री स्व. जेठूसिंह पिता हीरालाल जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

3/6. लीला कुंवर पुत्री स्व. जेठूसिंह पिता हीरालाल जी पुंवार, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

4. नाथू पिता ऊंकार भांड, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

4/1. किशनलाल पिता स्व. नाथू जी भाड़, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

4/2. नंदलाल पिता स्व. नाथू जी भाड़, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

4/3. पुखराज पिता स्व. नाथू जी भाड़, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

4/4. गोवर्धनलाल पिता स्व. मांगीलाल भाड़, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 11.09.2019 प्र.सं. 33/2018

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1— श्री आर. एल. रावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री गिरीशचन्द्र पुरोहित अभि. रे.सं. 1/1 से 1/3
3— श्री शराफत हुसैन अभिभाषक रे.सं. 2/1 से 2/6
4— श्री राजकीय पैराकार अभिभाषक रेस्पो. सं. 5

———::———

निर्णय दिनांक 21—09—2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''अ'' की हाल आराजी नंबर 3362, 3363, 3365, 3368, 3370 व 3380 कुल किता 05 रकबा 3.3900 हैक्टर मौजा आमेट में स्थित हैं, जो चाह नंबर 3364 से सिंचित है, जिसके साबिक आराजी नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:33 IST
Reason: SelfAttested

3325, 3326, 3327/2, 3327/2, 3328, 3331, 3333, 3335, 3337 कुल किता 9 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा थे, जो चाह नंबर 3330 से सिंचित होती थी। उक्त आराजियात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी की होकर प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 1 के पैरा ''ब'' में वर्णित आराजी नंबर 3351 रकबा 0.9300 हैक्टर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी की होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 86/93 भाग होकर वादी का 43/186 भाग है व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 43/186 भाग है तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 7/93 भाग है। पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का उपरोक्तानुसार विभाजन कराया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा विशेष उत्तर में निवेदन किया कि वादी हम प्रतिवादीगण का सगा भाई अवश्य है, किन्तु हमारे पिता ने करीब 25 वर्ष पूर्व ही वादी को उसका हिस्सा देकर उसे अलग कर दिया था, तब से वादी अपने हिस्से की जायदाद पर काबिज है, जिसकी लिखापढ़ी दिनांक 13–02–1959 को की गयी। वादी ने प्रतिज्ञा पत्र में अपना हिस्सा लेना स्वीकार किया है, जिससे वह पाबन्द है। उक्त हिस्सा ले लेने के बाद भी वादी ने कई मुकदमेबाजी की एवं झगड़ा किया इस पर दिनांक 13–03–1982 को लिखापढ़ी हुई, उस पर वादी कायम नहीं रहा। वादी का नाम गलत दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी के यहां कार्यवाही की गयी, जिस पर दिनांक 29–01–1978 को हम प्रतिवादीगण को ही हमारे पिता का वारिस माना गया तथा वादी का नाम गलत दर्ज होने से तथा 20 वर्ष से वादी का अलग रहने से उसका कोई हक नहीं माना है। इस फैसले के आधार पर हमारे द्वारा इन्द्राज दुरस्ती का दावा भी चलाया गया है। वादी विभाजन का दावा लाने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग के आधार पर प्रकरण में कुल 8 तनकियात कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय दिनांक 11–06–2004 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14–02–2018 को साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:33 IST
Reason: SelfAttested

रिमाण्ड आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। दौराने कार्यवाही प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी जिस आराजियात के लिए विभाजन का वाद लेकर आया है उसका वह सहखातेदार नहीं है। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि प्रकरण को लम्बा करने की गरज से प्रतिवादी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अने निर्णय दिनांक 11–09–2019 से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19–09–2019 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्व वाद में तनकी के निर्णय में अपीलान्ट/वादी को सहखातेदार मानते हुए तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की थी, किन्तु अपीलान्ट को न्याय से वंचित करने के लिए आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आधार पर वाद खारिज कर दिया, जो विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। वादी सहखातेदार है अथवा नहीं इसका निर्णय साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने आप न्यायालय द्वारा दिये गये रिमाण्ड आदेशों के विपरीत जाकर आदेश 7 नियम 11 के आधार पर वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट/वादी को उसके हिस्से अनुसार विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 2010 Page 737, RBJ (25) 2018 Page 449 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद विधि अनुसार निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:33 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त उनवानी के पूर्व प्रकरण संख्या 12/2012 अनवान नारायण सिंह व अन्य बनाम जयसिंह में दिनांक 14–02–2018 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि उभयपक्षों को सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट का वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज कर दिया, जबकि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में जो बिन्दु उठाये गये हैं वह तथ्य व कानून के मिश्रित बिन्दु होने से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के तहत निर्णित नहीं किये जा सकते, जैसाकि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर RBJ (25) 2018 Page 449 में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की जयपुर बेंच द्वारा में प्रतिपादित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश के विपरीत जाकर बिना साक्ष्यों का विवेचन किये मात्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद खारिज कर दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–09–2019 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20–11–2023 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:33 IST
Reason: SelfAttested